# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–शुचि त्यागी, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 57/2017 (RCMS No.- 2017/00179)

व उनवानी प्रकरण :–

गंगाप्रसाद पुत्र शिव लाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम धौर्र थाना बसेडी जिला धौलपुर ----------प्रार्थी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ---------- अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :–श्री अनुभव पाराशर सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 15.01.2018

## निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 से सूची अनुसार कुल 20 व्यक्तियों के आर्म्स अनुज्ञा पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिए कि उक्त 20 अनुज्ञा पत्र धारियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए सूची में क्रम संख्या 19 पर अंकित प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया तथा अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाना पर जमा कराये जाने के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी के आदेश दिनांक 18.11.13 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.05.2017 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2869 दिनांक 18.11.13 को (क्रम संख्या 19 अनुज्ञा पत्र संख्या 02/82 की हद तक) अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक व न्याय संगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की पत्रावली तलब की गई।

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

प्रार्थी की ओर से श्री हरिवीर सिंह अभिभाषक एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र के बहाली एवं नवीनीकरण हेतु पत्र कमांक 491 दिनांक 28.06.2017 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 2331 दिनांक 29.08.2017 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना बसेडी से मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा से जॉच कराई गई। प्रार्थी ग्राम धौर्र थाना बसेडी जिला धौलपुर का मूल निवासी होना पाया गया है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिबन्धित राजनैतिक पार्टी, आपराधिक गतिविधियों या संगठनो से सम्बन्ध नही रखते है तथा प्रार्थी निजी सुरक्षा हेतु आर्म्स रखता है। प्रार्थी के विरूद्ध मु0नं0 98/02 धारा 323, 341 ता0हि0 में दर्ज है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी राजीनामा के आधार पर बरी हो चुका है। अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिर्पोट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है ।

प्रार्थी के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी से रिपोर्ट पत्र क्रमांक 818 दिनांक 07.11.2017 से चाही गई। तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 847 दिनांक 08.12.2017 से अवगत कराया है कि प्रार्थी गंगाप्रसाद पुत्र शिवलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम धौर्र थाना बसेडी जिला धौलपुर के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जांच कराई गई। मुताविक पटवारी हल्का के अनुसार सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। तथा सरकारी भूमि पर प्रार्थी से भविष्य में अतिक्रमण नही करने का शपथ पत्र ले लिया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि यदि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में आता है तो कब और किस भूमि पर पश्चातवर्ती अवैध कब्जा रहा है, स्पष्ट नहीं किया गया। अप्रार्थी का यह तथ्य कि अनुज्ञापत्रधारी ने हथियारों का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, गलत है तथा उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग किया है। अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर कोई कब्जा नही है। तहसीलदार बसेडी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.12.2017 से प्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/82 बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि तहसीलदारों से प्राप्त सूची के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया तथा इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न होकर प्रार्थी स्वयं सरकारी भूमि के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे हालातों के मद्देनजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 18.11.13 कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार बसेडी व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 18.11.2013 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की प्रक्रिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विस्तृत प्रावधान दिए गए है। एलआर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट दोनों ही अपने आप में पूर्ण एवं पृथक–पृथक कानून है। जिनको एक साथ जोड़कर देखना न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार बसेडी ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.12.2017 में प्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी गंगा प्रसाद पुत्र शिवलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम धौर्र थाना बसेडी जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 2/82 को बहाल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2013 (क्रम संख्या 19 पर दर्ज, अनुज्ञा पत्र संख्या 02/82 की हद तक) को निरस्त किए जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/82 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बसेडी को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी सरकारी जमीन पर पुनः अतिक्रमण करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एंव तहसीलदार बसेडी को दी जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(शुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर